तीन तलाक़ और विधि: एक अध्ययन

डॉ. सुहैल अज़ीम कुरैशी
प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज, भिण्ड (म.प्र.)
सदस्य, विधि अध्ययन मण्डल व परीक्षा समिति,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रस्तावना

"धर्म तथा मजहब किसी एक या अधिक पारलौकिक शक्ति में विश्वास और उनके साथ रीति-रिवाजों, परंपराओं, पूजा पद्धति और दर्शन का एक समूह है"। प्राचीन काल से ही धर्म मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है यह प्रेम, करुणा और सहिष्णुता जैसे गुण विकसित करने के साथ मानव को दिव्यता भी प्रदान करता है। बहिर्मुखी ही नहीं अपितु अंतर्मुखी भी होता है। इसका वास्तविक स्वरूप है – "सर्वे भूत हिते रत:" । है अर्थात धर्म को समाज के एक सिस्टम के रूप में भी माना जाता है क्योंकि जो मानव समाज में रहते हैं यही धर्म के क्रिया - कलापों के बारे में ठोस निर्णय लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण रूप से धर्म का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्राचीन काल से ही अनेक धर्मों का उद्भव एवं विकास हुआ जैसे – हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध जैन एवं ईसाई धर्म इत्यादि । उक्त धर्मों में से कुछ धर्म जहाँ बाहर से भी आए वहाँ कुछ की उत्पत्ति यही हुई जिसके कारण जहाँ एक तरफ धार्मिकता रही, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक सद्भाव भी विद्मान रहा । इन विविधताओं के परिणामस्वरूप धर्म परिवर्तन जैसी प्रघटनाओं का भी स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है चाहे वह धर्म हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, इसाई हो अथवा इसके विपरीत। इस प्रकार के धर्मपरिवर्तन एवं स्वेच्छा से धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भारतवर्ष की एक परंपरा रही है

कुरान एवं हदिस

कुरान हदीस ने महिला एवं पुरुष के रिश्तो का जो ताना-बाना बुना प्रस्तुत किया है उसमें स्त्री और पुरुष को विभिन्न भूमिकाएं सौंपी है और उसी के अनुसार दर्जा कर्तव्य सुविधाएं तथा अधिकार दिए हैं कुरान एक धर्म का प्रचार करता है जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर होना आवश्यक है प्रत्येक जाति में स्त्री पुरुष दो अंग है इन दोनों के भरोसे ही कोई भी जाति संसार में उन्नति के पथ पर सरपट भाग सकती है समाज में भी इन दोनों का यथा स्थान विनियोग हुआ है कुरान में स्त्रियों को जो स्थान प्रदान किया गया है उसकी महत्ता हमें उस समय की स्थिति पर विचार करने से ही मालूम होगी

कुरान में परिवार

इस्लाम में सामाजिक जीवन में परिवार को आधारभूत महत्व दिया है वह जिस प्रकार के समय परिवार का गठन करना चाहता है उसकी रूपरेखा स्पष्ट किया है कुरान ने औरत और मर्द दोनों की उत्पत्ति एक ही जान से बताते हुए उसकी इंसानी बराबरी पर जो होती है जहां तक औरतों औरतों के अधिकार और कर्तव्य का सवाल है उन्हें भी बराबरी है ऐसा नहीं है कि अधिकार कम दिए गए हैं और कर्तव्य थे कुरान में स्पष्ट कहा

गया कि औरतों पर जैसे फराइज है वैसे ही इनके हकूक भी हैं कुरान में औरत और मर्द दोनों की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों में बराबरी का दृष्टिकोण रखता है।

मुस्लिम विवाह

मुसलमानों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता माना जाता है। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति और उसे वैधता प्रदान करना समझौते के रूप में इस प्रस्ताव की स्वतंत्र स्वीकृति मिलना आवश्यक है। विवाह का अर्थ स्पष्ट कि यौन संबंधों के परिजन और कानूनी रूप प्रदान करने के उद्देश्य पर एक समझौता है और साथ ही इसका उद्देश्य उसके हित में पति-पत्नी और उनसे उत्पन्न संतान के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर जीवन को व्यवस्थित करता है।

कुरान में बहु विवाह सूरे निसा की आयत नंबर 3 में इस्लाम में बहुविवाह की इजाजत विशेष परिस्थितियों में दी गई है। इस पर भी पाबंदी लगाई गई हैं तारी की और समाधि पृष्ठभूमि में देखा जाए तो एक से अधिक शादियों की आज्ञा बेसहारा और यह तीन लड़कियों को सहारा देने के लिए दी गई है परंतु यह भी बता दिया गया कि यदि पत्नियों में बराबरी ना कर सको तो एक ही बेहतर है विवाह के लिए अनिवार्य है और विधवाओं को सहारा देना इस्लाम में महत्वपूर्ण माना गया है।

कुरान में खुला

खुला विवाह विच्छेद अर्थात तलाक को कहते हैं जिसमें स्त्री स्वयं विवाह विच्छेद के अवरोध के लिए अनुरोध और मांग करती है औरत को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया है जिसे खुला कहते हैं मुस्लिम औरत को तलाक़ होने पर मैं हरम जिससे निकाह हो सकता है सिर्फ पर्दा करना होता है पर्दे को अरबी भाषा में हिजाब कहते हैं।

शरीअत में तलाक

विवाह जिसे निकाह कहा जाता है एक पुरूष और एक स्त्री का अपनी आजाद मर्जी से एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला है। इसकी तीन शर्ते हैंः- पहली यह कि पुरूष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो, मेहर के रूप में औरत को दे और इस नये सम्बन्ध की समाज में घोषणा हो जाये। इसके बिना किसी मर्द और औरत का साथ रहना और यौन सम्बन्ध स्थापित करना एक बड़ा अपराध है।

परन्तु यह सम्बन्ध (विवाह) दोनो में से किसी एक की इच्छा पर खत्म भी हो सकता है, जिसका अधिकार इस्लाम देता है इसी को तलाक या सम्बन्ध- विच्छेद कहा जाता है। इसका एक नियम और तरीका यह भी है कि अगर स्त्री या पुरूष में से कोई इस वैवाहिक जीवन से संतुष्ट न हो और मिलकर रहना सम्भव न रह जाये तो बताये हुए तरीकों के आधार पर दोनों अलग हो जाये और चाहे तो दूसरा विवाह कर लें। तलाक कोई मजाक नहीं है कोई यदि इसे गम्भीरता से न ले तो यह उस व्यक्ति का दोष होगा, नियम का नही।

पवित्र कुरान में कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, तलाक न दिया जाए और यदि तलाक देना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम यह प्रक्रिया न्यायिक हो। इसके चलते पवित्र कुरान में एकतरफा या सुलह का प्रयास किए बिना तलाक का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। इसी तरह पवित्र कुरान में तलाक की प्रक्रिया की समय अवधि भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। खत लिखकर या टेलीफोन पर एकतरफा और

जुबानी तलाक की इज़ाजत इस्लाम कतई नहीं देता है। एक बैठक में या एक वक्त में तलाक दे देना गैर-इस्लामी है जोकि एक ही क्षण में तलाक का सवाल ही नहीं उठता।

अगर पति-पत्नी तलाक पर आमादा ही हैं तो इस्लामी तरीका यह है कि तलाक का आखिरी फैसला करने से पहले एक- दो आदमी लड़के की ओर से एक-दो लड़की की ओर से मिल कर बैठें और कोई ऐसा हल निकालें कि आपस में दोनों का मेल-मिलाप हो जाए और तलाक की नौबत न आने पाए। लेकिन अगर किसी तरह समझौता न हो सके और तलाक के सिवा कोई चारा ही न हो तो फिर मर्द औरत को, सिर्फ एक तलाक दे यानी कहे कि मैंने तुझे तलाक दी। तलाक दो इन्साफ करने वाले गवाहों की मौजूदगी में दिया जाए। तलाक 'तुहर' (यानी माहवारी के बाद की हालत) में दी जाय, जिस में शौहर ने बीबी के साथ सोहबत (यौन सम्बन्ध) न की हो। तलाक के बाद औरत को 'इद्दत' यानी एक खास मुद्दत गुजारनी होगी। इस मुद्दत में मर्द फिर से औरत को अपना सकता है। अगर मर्द अपनाने के लिए तैयार न हो तो औरत अलग हो जाएगी। अगर बाद में दोनों चाहे तो दोबारा निकाह कर सकते हैं।

अगर मजबूरी में सम्बन्ध तोड़ना अनिवार्य हो जाए, तो यह काम भी इस्लामी शरीअत के अनुसार होना चाहिए और निम्न बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिएः-

- क्रोध में आकर अचानक तीन तलाक़ दे देना अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अत्यंत नापसंद है और इस्लामी शरीअत की शिक्षा के खिलाफ है।
- तलाक़ का फैसला, बात-चीत और सुलह के सभी प्रयासों की नाकामी के बाद ख़ूब सोच- विचार कर करना चाहिए। अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि किसी प्रकार के अधिकारों का हनन और अत्याचार न होने पाए।
- तलाक़ का वह उत्तम तरीका जिसे इस्लामी शरीअत ने बताया है अपनाया जाना चाहिए। अर्थात तलाक़ देने का फैसला हो जाए तो पत्नी को पवित्र हालत में एक तलाक़ दी जाए और इद्दत का इंतिज़ार किया जाए। इद्दत के दौरान पति को रूजू (सानिध्य) करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर इद्दत ख़तम हो जाए तब भी पति को पत्नी की रज़ामंदी से दोबारा निकाह करने का अवसर बाक़ी रहता है। हमें इसी तरीक़े को समाज में प्रचलित करने का प्रयास करना चाहिए।
- पत्नी को अनिर्णीत रखना, अर्थात न उसे तलाक़ देना और न साथ रखना, बड़ा गुनाह है। अगर औरत अलगाव चाहती हो, तो वह खुलाअ या फ़िस्ख़ के द्वारा अलग हो सकती है। जो औरतें पति के उत्पीड़न का शिकार हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। खुलाअ या फिस्ख़ के बारे में क्या आदेश दिए गए हैं उन्हें मालूम करना चाहिए और इस्लामी शरीअत के अनुसार अलगाव के रास्ते उन्हें बताना चाहिए। आपसी विवाद के निवारण के लिए परामर्श केंद्र, शरई पंचायत या दारूल क़ज़ा से संपर्क किया जाना चाहिए। हमें प्रत्येक स्थिति में अदालतों से परहेज़ करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्पीड़न की शिकार मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को हम स्वंय हल करें और उन्हें पुलिस थानों या ग़ैर-इस्लामी संस्थाओं या संगठनों से संपर्क स्थापित करने पर लाचार न करें।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने कहा कि लोगों में, तलाक के कानून के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर गलतफहमी है, शरीअत में तलाक देने का तरीका-

1. अगर पति- पत्नी में विरोधाभास हो तो पहले वे खुद उन विरोधाभासों को समाप्त करने की कोशिश करें। इन दोनों को यह बात सामने रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं।
2. अगर इस तरह से बात न बने तो अस्थायी तौर पर सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकता है।
3. अगर ये दोनों ही तरीके नाकाम हो जाएं तो दोनों परिवारों के समझदार लोग समझौते की कोशिश करें। या फिर दोनों तरफ से एक-एक मध्यस्थ बनाकर पति-पत्नी के बीच के विरोधाभास को खत्म करने की कोशिश हो।
4. अगर इसके बावजूद बात न बने तो पत्नी को पाकी की हालत में पति एक तलाक देकर छोड़ दे। इसके बाद तीन महीने दस दिन इद्दत के गुज़र जाएं। इस दौरान पति सम्पर्क करे और अगर समझौता हो जाए तो फिर पति-पत्नी की तरह दोनों अपना जीवन व्यतीत करें।
5. अगर इद्दत के बीच पति ने सम्पर्क नहीं किया और समझौता नहीं हुआ तो इद्दत के बाद खुद ही निकाह खत्म हो जाएगा और दोनों नए सिरे से जीवन शुरू करने के जिम्मेदार होंगे।
6. इस बीच अगर पत्नी गर्भवती होगी तो इद्दत की मुद्दत गर्भ खत्म होने तक जारी रहेगी।
7. तलाक देने की सूरत में पति पत्नी को महर और इद्दत की अवधि का खर्च देना होगा और अगर महर बाकी हो तो वह भी फौरन अदा करना होगा।
8. अगर इद्दत के बाद समझौता हो जाए तो आपसी रजामंदी से नए मेहर के साथ दोनों नए निकाह के जरिये पति- पत्नी का रिश्ता जी सकते हैं।
9. दूसरी सूरत यह है कि अगर दोनों में आपसी समझौता न हो तो, पाकी की हालत में पति एक तलाक दे और फिर दूसरे महीने दूसरा तलाक दें और तीसरे महीने तीसरा तलाक दे। इस प्रकार शरीअत के अनुसार तलाक या सम्बन्ध विच्छेद हुआ माना जाता है।

भारतीय संविधान

भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। धर्मनिरपेक्ष शब्द, संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार देता है। भारत के सभी नागरिक, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं।

भारतीय संविधान के भाग 4 क (ङ) में भी साफ कहा गया है कि- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार- न्यायालयों पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करें। सम्बन्धविच्छेद पर निर्वाहव्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे।

हिन्दू विवाह अधिनियम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण को रोक कर उन्हें न्याय प्रदान करता है, क्योंकि हमारे देश का कानून निर्दोशो पर हो रहे अत्याचार को रोकता है।

वर्तमान में तलाक़ की स्थिति

शाह बानो मामले में भी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने शाह बानो का साथ नहीं दिया बल्कि कानून बनाकर न्यायालय के फैसले को उलट दिया था। लेकिन इस बार जब न्यायालय ने तीन तलाक़ के खात्मे का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कानून बनाने का जिम्मा सरकार पर डाला है, तब ऐसी सरकार जो मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। न्याय की देवी ने इस बार मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस फैसले पर मुहर लगाई। उसकी खुशी उन महिलाओं के चेहरों पर देखी जा सकती है। तीन तलाक़ यानि तीन बार तलाक़ कह देने पर तलाक़ मान लेना मुस्लिम समाज की एक कुरीति रही है। अगर शौहर तीन बार तलाक़ कह दे तो तलाक़ हो जाता है, जबकि बीवी तलाक़ लेने के लिए भी आवाज नहीं उठा सकती है। 1982 में आई फ़िल्म 'निक़ाह' में तलाक़ को बड़े कारुणिक ढंग से दिखाया गया है। कई संगठन और एक्टिविस्ट्स इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन मज़हब के नाम पर जो कुरीति थी, उसे बदलने के लिए मजबूती से फैसला लेने की जरूरत थी। 2016 में शायरा बानो के मामले ने न्यायालय को झकझोर दिया। शायरा के पति ने चिट्ठी लिखकर उन्हें तलाक़ दे दिया था।जिसके बाद उन्होंने उन्हें (शायरा) छोड़ दिया था। इसी के बाद शायरा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. तब शायरा की याचिका के साथ चार और मुस्लिम महिलाओं की ऐसी ही याचिकाएं जोड़ दी गई थीं। इस मामले ने न्यायालय को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया।अगस्त 2017 को पांच न्यायाधीशों में से 3 ने तलाक़ को खारिज करते हुए कहा कि मजहबी कानून में हस्तक्षेप करने की आजादी आर्टिकल 25(2) में मिलती है। चूंकि मुस्लिमों के निजी कानून के अंतर्गत इस प्रथा को माना जाता था, लेकिन उसमें भी संशोधन का रास्ता हमें संविधान देता है। तीन तलाक़ को जहाँ असंवैधानिक माना गया है, वहीं ये समझना भी जरूरी है कि ये एक कुरीति है। और 3:2 के अनुपात से ये फैसला ले लिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी, पांच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के इस रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था। और कहा था कि यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत देश में विभिन्न धर्म जाति एवं वर्ग के लोग निवास करते हैं हमारे देश का कानून सभी धर्मों में समानता का अधिकार प्रदान करता है किसी भी धर्म में अपने देश के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है यहां पर विभिन्न धर्मों एवं अनेक रीति-रिवाजों से विवाह निका होता आ रहा है उस पर कानून द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है परंतु जब पारिवारिक कलह लड़ाई झगड़े संबंध विच्छेद की स्थिति आती है तो लोगों द्वारा कानून का सहारा लिया जाता है इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं आज हमारे समाज में लड़ाई झगड़े एवं तलाक की समस्या दीमक की तरह होती जा रही है इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा लागू किया जाए कि लोगों द्वारा अपने धर्म के अनुसार करने के उपरांत विभाग की कानूनी रजिस्ट्री कराई जाए ताकि जैसे पवित्र रिश्ते को समझा जाए और एक बार एक बार में तीन तलाक देने की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सके कि हमारे देश के लोगों एवं धर्मगुरु द्वारा विवाह को कानूनी मान्यता देने की भी सहमति जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके इस्लाम शरीयत के आदेशों को उसके सहित परियों के साथ मुस्लिम

समाज के प्रचलित किया जाए एवं परिवार के लोगों का दायित्व है कि वह अपने परिवार जनों का शरीयत के प्रति प्रतिबद्ध करें

इस्लाम शरीयत के विरुद्ध प्रथम मनोकामनाएं सामाजिक कृतियों या बाप दादा के गदर तरीकों पर चलने से कुरान ने कठोरता के साथ मना किया है इस्लाम शरीयत के तरीकों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि विवाह एवं तीन तलाक से संबंधित परेशानियों को दूर किया जा सके तलाक एवं पारिवारिक परेशानियों से निजात पाने के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान भाई बैलेंस शरीयत को अपने पूरे जीवन में अपनाएं और देशवासियों को इस्लाम और इस्लामी शरीयत से परिचित कराएं और उनकी गलतफहमी को दूर करें विद्यालय एवं मदरसों में भी धर्म स वा किया जाए साथ ही साथ भारतीय संविधान और देश की देश प्रेम की भावना की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए।

सन्दर्भ सूची:-

1. अल कुरान
2. हदीस
3. भारतीय संविधान, डॉ. जय नारायण उपाध्याय, सेंट्रल लॉ एजेंसी
4. भारत का संविधान एक परिचय, डॉ. दुर्गा दास बसु, लेक्सिस नेक्सिस
5. मुस्लिम विधि, अकील अहमद, सेंट्रल लॉ एजेंसी
6. मुस्लिम विधि, डॉ आर. आर. मौर्य, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
7. मुस्लिम विधि, सुरेश जैन ऋतुराज, तुलसी पब्लिकेशन प्रथम संस्करण (2015)
8. आधुनिक मुस्लिम विधि, पारस दीवान, इलाहबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन दसवां संस्करण (2017)
9. मुस्लिम विधि वी.पी. भारतीय ईस्टर्न बुक्स कम्पनी पंचम संस्करण (2018)
10. हिन्दू विधि, डॉ. यू.पी.डी. केसरी, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन तृतीय संस्करण (2016)
11. हिन्दू विधि, डॉ. आर.के.अग्रवाल, सेंट्रल लॉ एजेंसी (2017)
12. धार्मिक पत्र-पत्रिकायें
13. https://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/triple-talaq-117082200037_1.html
14. https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/do-you-know-these-things-about-triple-talaq/articleshow/70462690.cms
15. https://khabar.ndtv.com/news/india/triple-talaq-shayara-bano-to-shah-bano-begum-1740336